# कार्यालय, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर।

## अल्प कालीन पुनर्निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर के परिसर से सटे उमा भवन के जमीनी तल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं चौथे तल के लिए वार्षिक बन्दोवस्ती हेतु सर्शत निविदा आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि तक एक मात्र निविदा प्राप्त होने के फलस्वरूप पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है।

उमा भवन में कुल 23 कमरे हैं, जिसमें से 17 कमरे में संयुक्त बाथरुम है एवं 06 कमरें में अलग से बाथरुम है। साथ ही कार्यालय, स्टोर रुम, किचेन एवं डोरमेट्री हॉल भी है। उमा भवन का उपयोग यात्रि ठहराने, विवाह, मुण्डन, जनेऊ इत्यादि कार्यों के लिए कर सकते हैं।

अतः उमा भवन के सभी तल के वार्षिक बन्दोबस्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति से मुहरबन्द निविदाऐं निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैः–

1. मंदिर की पवित्रता एवं धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए उमा भवन के संचालन का कार्य करना होगा।
2. इस भवन में केवल निरामिश भोजन करने का आदेश होगा।
3. मदिरापान एवं तम्बाकू का सेवन कठोर रुप से वर्जित होगा।
4. डाक में भाग लेने के लिए सुरक्षित जमा राशि के रुप में 50,000 (पचास हजार) रु० का ड्राफ्ट उपायुक्त –सह– सचिव, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर के नाम से देय होगा; जिसे निविदा के साथ जमा करना होगा। असफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरांत यह राशि लौटा दी जायेगी।
5. डाक की न्यूनतम बोली 7,00,000 (सात लाख) रु० होगी। डाक राशि तीन बराबर किस्तों में जमा करनी होगी। प्रथम किस्त पंद्रह दिनों के अन्दर जमा करनी होगी।
6. मूल संरचना में किसी प्रकार की छेड़खानी या परिवर्त्तन का अधिकार आवंटी को नहीं होगा।
7. किसी भी परिस्थिति में यह हस्तान्तरणीय नहीं होगा। ऐसे मामले प्रकाश में आने पर आवंटन रद्द करते हुए समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अनुबंध के शर्त्तों के उल्लघंन/धोखाधड़ी के लिए उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
8. आवंटी को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी/प्रशासन/मंदिर प्रशासन द्वारा वर्जित कार्य करने पर रोक होगी।
9. आवंटी द्वारा उमा भवन के संचालन हेतु स्थापना यथा– रसोई के लिए कर्मचारी, साफ–सफाई कर्मी, बिजली, पानी इत्यादि पर होने वाले समस्त व्यय का वहन स्वयं करना होगा तथा कर्मचारियों को स्वच्छ पोशाक में रहना होगा।
10. डाक में भाग लेनेवाले आवेदकों का चरित्र स्वच्छ होना चाहिए एवं इसके लिए आचरण एवं अनुशासन पालक से संबंधित शपथ–पत्र देना होगा।
11. इच्छुक निविदा कर्त्ता निम्न पता पर डाक के माध्यम से भी मुहरबंद निविदाऐं भेज सकते हैं, बशर्ते वह डाक **दिनांक– 16.04.2018 के पूर्व अपराहन् 04:00 बजे** तक निम्न पते पर प्राप्त हो जाय।

   अपर समाहर्त्ता –सह– मंदिर प्रभारी,
   प्रशासनिक भवन, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर– 814112

12. सशर्त्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
13. बंदोबस्ती से संबंधित किसी भी विवाद पर अधोहस्ताक्षरी का निर्णय ही अंतिम होगा।
14. बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

06-04-2018

उपायुक्त –सह– प्रशासक
बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर।